Indian Streams Research Journal
Vol -2 , ISSUE –7, Aug.2012
ISSN:-2230-7850
Available online at www.lbp.world

ORIGINAL ARTICLE

ग्राम पंचायत के अधिकार एवं दायित्व

प्रमोद कुमार सिंह
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान , अवधेश प्रताप सिंह वि. वि. रीवा (म. प्र.)

सारांश–

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज के अधिकार एवं दायित्व का वर्णन किया गया है एवं मध्यप्रदेश राज्य में पंचायती राज को प्राप्त शक्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। जिसके द्वारा हम ग्राम पंचायत के अधिकार व दायित्व व उनकी शक्तियों को ठीक से समझ सकते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था विधिवत सत्यापन (2005–2010)

ग्राम पंचायत अधिकार एवं दायित्वः–

प्रत्येक ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि अपनी ग्राम पंचायत निधि के अनुसार कृत्य करे प्रत्येक ग्राम पंचायन का गठन करने के पीछे मूल भावना यह है कि ग्राम पंचायत सार्वजनिक हित के साथ–साथ आर्थिक उत्थान के द्वारा सामाजिक सद्भाव के साथ आत्मनिर्णय की भावना एवं समाज के निर्देशों अनुदेशों के आधार पर कार्य करे।

ग्राम पंचायत के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार है।

1. सार्वजनिक बाजारों तथा सार्वजनिक मेलों से भिन्न बाजारो तथा मेलो की स्थापना प्रबन्ध और विनिमय।
2. ग्राम पंचायत क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करना एवं जनपद पंचायत की योजना में सम्मिलित करने के लिये समय के भीतर जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।
3. केन्द्र सरकार या राज्य द्वारा या जिला पंचायत अथवा जनपद पंचायत द्वारा योजनाओं, परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करना।
4. स्थानीय योजनाओं संसाधनों और ऐसी योजनाओं के लिये व्ययों पर नियंत्रण रखना।
5. ग्राम सभा द्वारा गठित की गई समितियों के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना उनका मूल्यांकन एवं निगरानी करना।
6. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप ग्राम सभा एवं अल्य समितियों को उपलब्ध कराना एवं समय–समय पर कराये गये कार्य या व्यय राशि की उपयोगिका का मूल्यांकन करना।

ग्राम पंचायत की शक्तियांः

ग्राम पंचायत के गठन के फलस्वरूप पंचायती राज्य अधिनियम 2004 के तहत राज्य सरकार आत्म निर्णय एवं आत्य नियंत्रण के आधार पर ग्राम की आवश्यकता एवं उन्नति के लिये ग्राम पंचायतों को विधि मान्य तरीके से कृत्यों के सम्पादन हेतु कुछ शक्तियां प्रदत्त की है इन शक्तियों का उपयोग ग्राम व्यवस्था एवं उन्नति हेतु उपयोगी एवं प्रभावी होगी ग्राम पंचायत को पंचायती राज्य अधिनियम 1994 के अधिनियम के तहत धारा 54 से धारा 61 तक, विहित दोनों एवं कार्यो हेतु जो शक्तियां प्रदान की गई है। उसका वर्णन निम्नानुसार ळें

1. धारा 54 (सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधायें एवं सुरक्षा की बाबत ग्राम पंचायत की शक्तियां)

1. घणोत्पादक एवं खतरनाक वस्तुओं के व्यापार का विनियमन करने के लिये।
2.संरचनाओं एवं कृत्यों को हटाने के लिये जो सार्वजनिक हित में उपयोगी हो।
3.स्वच्छता, सफाई, जल–निकासी जनसंक्रमों जल प्रदाय के श्रोतों को सरंक्षित करने के लिये।
4.जल का उपयोग विनियमन करने के लिये।
5.पशु वध के लिये।
6.कारखानों, धर्मशालाओं, एवं अन्य औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु अनुज्ञा देने के लिये।
7.ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यावरणीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये।
8.अन्य ऐसे कृत्य जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं ग्राम पंचायत के अन्तर्गत विकास करने वाले लोगों की सुरक्षा हेतु आवश्यक हो विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु या इसके विपरीत कृत्यों की रोकथाम के लिये आवश्यक है। निर्णय एवं प्रतिबन्ध लगाने जैसे कृत्यों के, लिये अधिकार एवं शक्तियां प्रदत्त की गई है।'

2.धारा 55– भवनो के परिनिर्माण पर नियंत्रण

पंचायती राज अधिनियम की इस धारा के तहत–

1. कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत की लिखित अनुशंसा के बिना ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्दर अपने स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर भी किसी प्रकार का भवन निर्माण नहीं करेगा या पूर्व से निर्मित भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा। परन्तु यदि ग्राम पंचायत आवेदन देने के 45 दिन के भीतर उसके आवेदन पर निर्णय नहीं करती है तो यह माना जायेगा कि पंचयात ने अनुज्ञा दे दी है।
2. यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की अनुज्ञा के बिना या अनुज्ञा की शर्तो के प्रतिकूल करता है तो ग्राम पंचायत को अधिकार है लिखित सूचना देकर निर्माण रोक दे या उसको गिरा दे जो लोक हित में हो करने को स्वतंत्र रहेगी।'

3.सार्वजनिक मार्गो खुले स्थानों पर बाधा या अतिक्रमणा से सम्बंधित शक्तियांः

1. किसी दीवार, वाड, जंगले, स्टाल, चबूतरे, सीढ़ी आदि द्वारा सार्वजनिक स्थान या नाली आदि में अतिक्रमण को रोकने से सम्बंधित शक्ति।
2. पंचायत क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी स्थान से रेत, मिट्टी या पत्थर, इत्यादि के उत्खनन को रोकने से सम्बंधित शक्ति।
3. किसी चरनोई भूमि यो सार्वजनिक उपयोग की भूमि में अवैध निर्माण या खेती करने जैसे अतिक्रमण को रोकने सम्बंधी शक्ति।
4. ग्राम पंचायत को ऐसी किसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने चारागाह या अन्य किसी भूमि पर जो निजी सम्पत्ति न हो अप्राधिक्रत रूप से उगाई गई फसल हटाने की शक्ति होगी ग्राम पंचायत को ऐसे किसी खुले स्थान जो कि निजी सम्पत्ति न हो चाहे वह स्थल ग्राम पंचायत में निहित न हो उस पर किसी प्रकार की बाधा अतिक्रमण इत्यादि हटाने की शाक्ति होगी एवं इसे हटाने में

लगा व्यय सम्बंधित व्यक्ति से वसूला जायेगा एवं अदा न करने की स्थिति पर ऐसा व्यय भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूला जायगा।

4. बाजारों में मेला आयोजन की शक्तिः
5. कॉलोनी निर्माण
6. भू राजस्व सम्बंधी शक्ति

ग्राम पंचायत की कर अधिरोपित करने की शक्ति

ग्राम पंचायत अपनी पंचायत निधि की वृद्धि के लिये ग्राम सभा अनुमोदन के पश्चात् निम्न कर अधिरोपित कर सकती है।

1. उन व्यक्तियों पर बाजार फीस जो ग्राम पंचायत या उसके द्वारा नियंत्रणाधीन किसी बाजार स्थान या भवन संरचना में विक्रय के लिये माल रखते है।
2. ग्राम पंचायत या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या नियम स्थान में बेचे गये पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क।
3. प्रकाश कर या जल कर इस प्रकार के कर तभी अधिरोपित हो सकेंगे जब ग्राम पंचायत द्वारा नियमित, जल प्रदाय व्यवस्था या प्रकाश व्यवस्था की जाती है।
4. ग्राम सभा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई वृत्ति या व्यापार करने वाले या जीविका कमाने वाले व्यक्तियों पर करें।
5. ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किराये पर चलाई जाने के उपयोग में आने वाली बैल गाड़ियां, साईकिल एवं रिक्शों पर कर।
6. जल निकास पर शुल्क जहां जल निकास पद्धति ग्राम पंचायत द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है।
7. मोटर यानो से भिन्न यानो के स्वामियों द्वारा प्रवेश करा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

1.	एलेन वाल	आधुनिक राजनीति एवं शासन 1989
2.	गुप्ता म. एल.शर्मा डी. डी.	भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र
3.	परमात्मा शरण	भारतीय शासन एवं राजनीति
4.	मनोहर पुरूषोत्तम केलकर	ग्राम पंचायत मार्गदर्शिका विश्व भारती प्रकाशन नागपुर 1964
5.	डॉ. राधेश्याम द्विवेदी	मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम प्रकाशन सुविधा लॉ हाउस भोपाल 1998
6.	भावे विनोबा	ग्राम पंचायत और प्रशासन
7.	एस. के.	पंचायती राज
8.	दयाल राजेश्वरी	भारत मे पंचायती राज
9.	गांधी महात्मा	पंचायत राज
10.	गोस्वामी प्रभाकर	राजस्थान में पंचायती राज
11.	मालवीय एच. डी.	प्राचीन भारत में पंचायती राज
12.	मेहता	सामुदायिक विकास पंचायती राज और योजनाएं
13.	ऐडिक ऐनरी पंचायतीराज	ए स्टडी ऑफ रूरल लोकल गवर्मेन्ट इन इण्डिया
14.	गांधी राजीव	पंचायतीराज जन जन के द्वारा पर लोकतंत्र और विकास
15.	राजपूत आर.एस.	भारत में पंचायती राज
16.	शर्मा विद्यासागर	पंचायत राज

17.	श्रीवास्तव जवाहर लाल	युवक मण्डल और पंचायतें
18.	मंगला राय	प्राचीन भारत में जिला प्रशासन जानकी प्रकाशन पटना 1983
19.	मनोहर पुरूषोत्तम केलकर	ग्राम पंचायत मार्गदर्शिका विश्व भारती प्रकाशन नागपुर 1964
20.	राजनाथ उपाध्याय	नई पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण आर्थिक विकास सारांश प्रकाशन दिल्ली 1998